

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-180/ग्यारह-2-26-9(47)/17-टी.सी.-203-30प्र0अधि0-1-2017-

आदेश-(372)-2026/1340341/2026

लखनऊ: दिनांक: 23-05-2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या-1699/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-284-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश(362)-2025 दिनांक 20 सितम्बर, 2025 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

(क) अनुसूची I - 2.5%,

(i) क्रम संख्या 150 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2202 99 21, 2202 99 29" रख दी जायेगी;

(ii) क्रम संख्या 151 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2202 99 31, 2202 99 39" रख दी जायेगी;

(ख) अनुसूची III - 20%,

(i) क्रम संख्या 2 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2202 99 90, 2202 99 91, 2202 99 99" रख दी जायेगी;

(ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2202 99 91, 2202 99 99" रख दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना तारीख 1 मई, 2026 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Kamini Chauhan Ratan
Date: 23-05-2026
21:07:02

(कामिनी चौहान रतन)

प्रमुख सचिव।